OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI, OLD COURT BUILDING
PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001.

F. No. 47/AR/BKG/RCS/254/2025/ 483

Dated : 26/03/2025

To,

The Deputy Secretary (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub:- Forwarding of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 280.

Sir,

Please find enclosed herewith 100 copies of the reply given to Unstarred Question No. 280, due for answer on 28.03.2025, along soft copy/ pen drive for your necessary action.

The reply has been duly approved by the Hon'ble Minister of Cooperation, Delhi Government.

(SURINDER NARANG)
ASSISTANT REGISTRAR
(BANKING BRANCH)

Encls:

1. 100 copies of the answer.
2. Pen drive containing soft copy of the answer.

F. No. 47/AR/BKG/RCS/254/2025/

Dated :

Copy to:-

1) Secretary to Hon'ble Minister of Cooperation.
2) PPS to Pr. Secretary Cooperation.

(SURINDER NARANG)
ASSISTANT REGISTRAR

CamScanner

<u>विभाग का नाम :- रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसायिटी</u>

विभाग का पता:- पुराना कोर्ट बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 280

दिनांक:- 28.03.2025

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री कुलदीप कुमार

क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में तत्कालीन एडिशनल आरसीएस की रिपोर्ट पर दिल्ली के उप–राज्यपाल महोदय एवं विजिलेंस विभाग ने जो सिफोरिशें की थी उन पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई;	दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में तत्कालीन अतिरिक्त पंजीयक सहकारी समितियां की रिपोर्ट पर उप–राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सतर्कता विभाग द्वारा की गई सिफारिशों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:– दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में दिल्ली सरकार के शेयरों की हिस्सेदारी कम करने के मामले में विभाग ने पत्र संख्या एफ. सं. एआर (बीकेजी)/आरसीएस/2020–21/सीडी नंबर 107651211/130 दिनांक 23.02.2023 और उसके बाद अनुस्मारक दिनांक 16.10.2023 और 29.07.2024 द्वारा वित्त विभाग से अनुरोध किया कि वह दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामलों में सरकार की वित्तीय पकड़ बनाए रखने के लिए दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत तक बढाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करे। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए सदस्य सहकारी समिति को ऋण देने, नांगलोई में बैंक की 715 वर्ग गज भूमि को दिल्ली सहकारी विपणन एवं आपूर्ति संघ को हस्तांतरित करने तथा बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक और अधिकारियों के रिश्तेदारों–संबंधियों की बैंक में नियुक्ति के मामलों में, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2003 की धारा 61 (1) के अनुसार श्री के.एस. मीना (रिटायर्ड आई.ए.एस.) को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निरीक्षण के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं रिपोर्ट का इंतजार है।

CamScanner

	2.3 करोड. रूपये के अनुचित–आकस्मिक शुल्कों पर जीएसटी के 42.3 लाख रूपये के विचलन के मामले में विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा यह जांचने के लिए श्री दिनेश कुमार, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई है कि क्या विशेष लेखा परीक्षक ने नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा करने और पंजीयक सहकारी समितियां आदि के ध्यान में कमियों और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए सभी सावधानी बरती हैं। चेयरमैन श्री विजेन्द्र सिहं तथा निदेशक श्री आर.एस. जून के विरूद्व 16.023 करोड. रूपये की वसूली के आदेश लंबित होने के मामले में डॉ. विजेन्द्र सिंह तथा श्री आर.एस. जून को जुर्माने से मुक्त करने के संबंध में दिनांक 02.06.2014 के आदेश की सत्यता की पुष्टि भारत सरकार के केन्द्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 के पत्र द्वारा की गई है। संबंधित बैंक के अधिकारियों से सहायक कलेक्टर ग्रेड–II की शक्ति वापस लेने के मामले में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कानून और न्याय विभाग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार माननीय उप–राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन के लिए फाइल प्रक्रिया में है। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री अनीता रावत की अवैध नियुक्ति के मामले में, दिनांक 11.05.2023 को बैंक को पत्र भेजकर सुश्री अनीता रावत को प्रबंध निदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बैंक ने WPC संख्या 4277/2023 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.06.2023 को एक आदेश पारित किया जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया गया है। संबंधित बैंक की सदस्य समितियों के सत्यापन के मामलें में माननीय न्यायालय ने WPC संख्या 1072/2023 में अपने आदेश दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से सदस्यता ऑडिट करने और उसके बाद दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के चुनाव के संचालन की निगरानी करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.के. जैन (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया। उक्त बैंक का चुनाव माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री वी.के. जैन की देखरेख में जून, 2024 के महीने में संपन्न हुआ है।

CS CamScanner

(ख) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विगत 5 वर्षों में की गई सभी शिकायतों का ब्यौरा दें एवं उन पर कार्रवाई ना होने के कारण बताए जाएं एवं इसमें समय से कार्रवाई ना करने के लिए दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारयों के नाम बताएं;	जब भी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे बैंक को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया जाता है और दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की सूचना एकत्रित की जा रही है और विधानसभा को शीघ्र प्रेषित की जायेगी।
(ग) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सदस्यता की जांच कब की गई, इनके सदस्य सोसाईटियों का ऑडिट कब से नहीं हुआ, यदि हुआ है तो वह कौन–कौन सी फर्म से किया गया है सभी सदस्य सोसाईटियों के ऑडिट की जानकारी दें;	सूचना एकत्रित की जा रही है और विधानसभा को शीघ्र प्रेषित की जायेगी।
(घ) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में एमडी की नियुक्ति का क्या नियम है;	दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी नियम, 2007 के नियम 58 में कहा गया है कि वित्तपोषित सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति सरकार के परामर्श से समिति द्वारा की जाएगी।
(ड़) क्या वर्तमान में जो एमडी है वह नियुक्ति के सभी नियम कायदे कानून को पूर्ण करते हैं।	हालांकि, यह संज्ञान में आया है कि बैंक द्वारा दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी नियम, 2007 के नियम 58 का पालन नहीं किया गया है।
(च) यदि हां, तो जानकारी दें;	तदनुसार, इस कार्यालय के दिनांक 11.05.2023 के पत्र के माध्यम से बैंक को सुश्री अनीता रावत को प्रबंध निदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा इस आदेश को WPC संख्या 4277/2023 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
(छ) यदि नहीं, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई, जानकारी दें;	माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.06.2023 के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया है।

CamScanner

(ज) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों की कितनी शिकायतें लंबित हैं;	दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2003 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी नियम, 2007 के नियम 166 के साथ सभी सहकारी समितियों की प्रबंध समिति को सेवा मामलों के संबंध में अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तैयार करना आवश्यक है। जब भी संबंधित बैंक के खिलाफ बैंक के कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस शिकायत को संबंधित बैंक को उनके सेवा नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है। वर्तमान में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई कोई शिकायत लंबित नहीं है।
(झ) क्या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई;	
(ञ) यदि नहीं की गई तो दोषी अधिकारियों की सूची प्रदान करें;	
(ट) विधान सभा की याचिका समिति में बैंक के कुल कितने मामले चल रहे हैं और उनमें विभाग की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई की गई; और	दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से संबंधित विधानसभा की याचिका समिति में कोई भी मामला लंबित नहीं है। पूर्व याचिका समिति द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां पूर्व याचिका समिति को उपलब्ध करा दी गई है।
(ठ) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सभी सदस्यों की सूची तथा उसमें कौन–कौन सी सोसाइटी हैं सभी सोसाईटियों का रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस फोन नंबर सहित उपलब्ध कराया जाए?	संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और विधानसभा को शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

A. K. SINGH, IAS
Registrar Co-operative Societies
Govt. of N.C.T. of Delhi
Parliament Street, New Delhi-110001

CamScanner